संख्या-1/2022-वे0आ0-2-56/दस-2022/ई0प0सं0-1600341

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 10 फरवरी, 2022**

विषय:- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सेवा एवं अधिष्ठान से सम्बन्धित प्रकरणों एवं उनसे सम्बन्धित मा0 न्यायालयों में योजित वादों में कार्मिक, वित्त एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदान किये जाने वाले अन्तर विभागीय परामर्श में समन्वय स्थापित किये जाने हेतु इन विभागों के विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों की समिति का गठन एवं समिति का दायित्व निर्धारण ।

महोदय,

प्रशासकीय विभागों द्वारा संदर्भित अधिष्ठान एवं सेवा सम्बन्धी प्रकरण शासन में वित्त, कार्मिक एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदान किये जाने वाले अन्तर विभागीय परामर्श की प्रक्रिया में यह देखा जा रहा है कि एक तो इन तीनों स्तरों पर पत्रावलियों का निस्तारण होने में काफी समय व्यतीत हो जाता है दूसरे इसके बावजूद भी सार्थक परिणाम सामने नहीं आ पाता है। इस स्थिति में ही मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रायः उत्पन्न होने वाली अवमाननावाद की स्थितियों में मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने की स्थिति में शासन को वित्तीय क्षति उठानी पडती है। संवर्गों के पुनर्गठन, पद सृजन एवं सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण में भी एकरूपता न होने के कारण वाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और अन्तर विभागीय परामर्श में प्रभावी समन्वय न होने के कारण राज्य सरकार का पक्ष प्रभावी रूप से मा0 न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं हो पाता है।

(2) उपर्युक्त के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा सम्बन्धी प्रकरणों एवं उनसे सम्बन्धित वादों में कार्मिक, वित्त एवं न्याय विभाग के अन्तर विभागीय परामर्श में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा :-

(क) प्रशासकीय विभागों द्वारा अन्तर विभागीय परामर्श हेतु संदर्भित संवर्ग के गठन, पद सृजन के प्रकरणों एवं अन्य सेवा सम्बन्धी गम्भीर प्रकरणों तथा इनके सम्बन्ध में योजित होने वाले वादों के सम्बन्ध में कार्मिक, वित्त एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों की एक समिति द्वारा प्रत्येक सप्ताह के बृहस्पतिवार को अपरान्ह 03:00 बजे नियमित रूप से अपनी बैठक करते हुये कार्यवृत्त के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जायेगा तथा समिति के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रकरण से सम्बन्धित परामर्शीय विभाग यथा स्थिति-कार्मिक, वित्त एवं न्याय के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव के स्तर से प्रदान किया जायेगा। सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के परामर्श का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा, संवर्ग की संरचना एवं पद सृजन तथा वेतन एवं भत्तों सम्बन्धी परामर्श का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं मा0 न्यायालयों में योजित किये जाने वाले वादों तथा प्रतिवाद सम्बन्धी परामर्शों का अनुमोदन प्रमुख सचिव, न्याय विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा। समिति के सदस्य जिन प्रकरणों में अपने अभिमत के लिये विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन आवश्यक समझेगें उसे पृथक से प्राप्त करते रहेंगे और तद्नुसार अन्तिम रूप से कार्यवृत्त जारी करायेंगे। समिति की बैठकों में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। जिस विभाग द्वारा अन्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विभागीय परामर्श अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जायेगा उन्हीं के माध्यम से ई-आफिस प्रक्रिया से पत्रावली प्रशासकीय विभाग को वापस की जायेगी और प्रशासकीय विभाग द्वारा परामर्श हेतु संदर्भित की जाने वाली पत्रावली इसी प्रकार उक्त विभाग के माध्यम से ही समिति को संदर्भित होगी।

(ख) प्रशासकीय विभागों द्वारा उक्त-(क) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त किये गये परामर्श के बिना मा0 न्यायालयों में योजित संवर्ग/सेवा सम्बन्धी वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही नहीं की जायेगी क्योंकि इससे राज्य सरकार का सही पक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाता है।

(ग) किसी भी वाद में प्रारम्भिक स्तर पर ही शासन का पक्ष मजबूती से रखा जाय तथा उपर्युक्त-(क) एवं (ख) की प्रक्रिया के अनुसार परामर्श प्राप्त कर लेने एवं तत्पश्चात प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के बिना निचले स्तर से सीधे प्रतिशपथ पत्र दाखिल न किया जाय।

(घ) जिन प्रकरणों में मा0 न्यायालय के आदेश के विरूद्ध उच्च स्तर पर अपील योजित की जानी हो उनमें यथा सम्भव विशेष अपील, पुनर्विचार याचिका के माध्यम से ही प्रतिवाद किया जाय और मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किया जाना अन्तिम विकल्प होना चाहिए क्योंकि प्रायः विशेष अनुज्ञा याचिका इनलेमिने खारिज हो जाती हैं और फिर अवमाननावाद से बचने का विकल्प भी समाप्त हो जाता है।

(ङ) वित्त, कार्मिक अथवा न्याय विभाग के परामर्शों में प्रशासकीय विभाग द्वारा की गयी जिन किन्हीं त्रुटियों को संज्ञान में लाया जाय और उनके निराकरण की अपेक्षा की जाय, प्रशासकीय विभाग द्वारा इनका निराकरण तत्काल किया जाय क्योंकि इस प्रकार की इंगित त्रुटियों का निराकरण न करने का परिणाम यह होता है कि मा0 न्यायालयों में वादों की संख्या बढती है और वादीगण सीधे परामर्शी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को ही मुख्य प्रतिपक्षी बनाते हैं।

3- उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समिति के सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, कार्मिक एवं न्याय विभाग द्वारा स्व-स्तर से विशेष सचिवों का नामांकन किया जायेगा और इसकी सूचना वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 को दी जाती रहेगी।

भवदीया,
एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2022-वे0आ0-2-56(1) /दस-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त महोदया को अपर मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3- अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in